



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

Most Immediate
GST Matter
RBA No. 81/2019
GST Circular No. 23/2019
9th September, 2019

No. 2018/AC-II/1/14

Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways and Production Units.

Sub :- Accounting adjustment of GST between Production Units and Principal Railways.

One of the Production Unit and its Principal Railway has brought out to the notice of Railway Board some issues relating to account of Input Tax Credit (ITC) with respect to availment/adjustment of ITC on Goods procured for production of Wagons, etc in Production Units. For determining the ITC, following codes have been created in IPAS. This is also followed in the Production Units using their inhouse software other than IPAS.

Classification As per GST Act	Code in IPAS	Accounting done in Books of Accounts of Units
T4-Full eligible	1	Misc Advance (Revenue) or Misc. Advance (Capital)
C2-Partially eligible	2	-do-
T1-Non Business	3	Appropriate Expenditure Head
T2-Exempt Operations	4	-do-
T3-Credit Restrictions	5	-do-

GSP of Indian Railways have been considering the above mentioned codes to determine the eligible ITC, for adjustment of ITC against the Output Tax Liability of the Principal State. This is illustrated as follows:-

	Goods	Service
1. Principal State (PS) Output Liability	0	100.00
2. Production Unit (PU) (attached to Principal	50.00	0

1/2


✓

P. T. O

	Goods	Service
State above) Output Liability		
3. PS ITC (Services)---T4	N.A	10.00
4. PS ITC (Services)---C2***	N.A	5.00
5. PU ITC (Goods)---T4	40.00	N.A
6. PU ITC (Goods)---C2***	5.00	N.A
7. Net Tax Due on account of PU (2-5-6)	5.00	N.A
8. Net Tax Due on account of PS (1-3-4)	N.A	85.00
9. Final Net Tax Outgo of PS for the State of Karnataka (G+H)	90.00	

*** will be the ratio of Exempted Turnover vis-à-vis the Total Taxable Turnover of the PS .

All the Principal State where some Production Units are attached, are requested to immediately review the ITC credits availed in the GSTR 3B Return for Production Units against Production Unit's Output Tax pass on the credit to the associate Production Units. This may kindly be got done immediately, as the last date of correction of ITC, etc for the Financial Year, 2018-2019 is 30th September, 2019. Compliance may be reported to Board's Office.


(V.Prakash)
Joint Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

General Manager/GSTM, Centre for Railway Information System, Chanakyapuri, New Delhi.

2/2

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

अति तत्काल
जीएसटी मामला
आरबीए सं.81/2019
जीएसटी परिपत्र सं.23/2019
नई दिल्ली, दिनांक: 09.09.2019

सं.2018/एसी-II/1/14

प्रधान वित्तीय सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयां

विषय: उत्पादन इकाइयों और प्रधान रेलों के बीच जीएसटी का लेखांकन समायोजन।

किसी एक उत्पादन इकाई और उनकी प्रधान रेलवे ने उत्पादन इकाइयों में मालडिब्बों आदि के उत्पादन के लिए खरीदी गई वस्तुओं पर आईटीसी का लाभ उठाने/समायोजित करने के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लेखांकन से संबंधित कुछ मामलों के बारे में रेलवे बोर्ड को अवगत कराया है। आईटीसी के निर्धारण के लिए आईपीएस में निम्नलिखित कूट बनाए गए हैं। उत्पादन इकाइयों में भी आईपीएस से इतर उनके इनहाऊस सॉफ्टवेयर के उपयोग में इनका अनुपालन किया जाएगा।

जीएसटी अधिनियम के अनुसार वर्गीकरण	आईपीएस में कूट	इकाइयों की लेखा बहियों में किया गया लेखांकन
टी4-पूर्णतया उपयुक्त	1	विविध अग्रिम (राजस्व) या विविध अग्रिम (पूजी)
सी2-आंशिक रूप से उपयुक्त	2	-वही-
टी1-नॉन बिज़नेस	3	यथोचित व्यय शीर्ष
टी2-छूट प्राप्त परिचालन	4	-वही-
टी3- क्रेडिट प्रतिबंध	5	-वही-

भारतीय रेलवे के जीएसटी प्रधान राज्य की आऊटपुट कर देयता के तहत आईटीसी के समायोजन के लिए उपयुक्त आईटीसी निर्धारित करने के लिए उक्त उल्लिखित कूट पर विचार कर रहे हैं। इसे निम्नानुसार दिखाया गया है:-

	वस्तु	सेवा
1 प्रधान राज्य (पीएस) आऊटपुट देयता	0	100.00
2 उत्पादन इकाई (पीयू) उक्त प्रधान राज्य से संबद्ध आऊटपुट देयता	50.00	0
3 पीएस आईटीसी (सेवा) - टी 4	लागू नहीं	10.00
4 पीएस आईटीसी (सेवा) - सी2***	लागू नहीं	5.00

5 पीयू आईटीसी (वस्तु) - टी 4	40.00	लागू नहीं
6 पीयू आईटीसी (वस्तु) - सी2***	5.00	लागू नहीं
7 उत्पादन इकाई का बकाया शुद्ध कर (2-5-6)	5.00	लागू नहीं
8 प्रधान राज्य का बकाया शुद्ध कर (1-3-4)	लागू नहीं	85.00
9 कर्नाटक राज्य के लिए प्रधान राज्य का अंतिम शुद्ध कर व्यय (जी+एच)		90.00

*** प्रधान राज्य में कुल करयोग्य कारोबार की तुलना में छूट प्राप्त कारोबार के अनुपात में होगा।

सभी प्रधान राज्यों, जिनसे कुछ उत्पादन इकाइयां संबद्ध हैं, से अनुरोध है कि संबद्ध उत्पादन इकाइयों को क्रेडिट पास करने के लिए उत्पादन इकाइयों के आऊटपुट कर के तहत उत्पादन इकाइयों की जीएसटीआर 3बी रिटर्न में लिए गए आईटीसी क्रेडिट की तत्काल समीक्षा करें। यह कार्य अतिशीघ्र किया जाए क्योंकि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीसी आदि में सुधार करने की अंतिम तारीख 30.09.2019 है। बोर्ड कार्यालय को इसके अनुपालन से अवगत कराया जाए।

इ.

(वी. प्रकाश)
संयुक्त निदेशक (लेखा)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. महाप्रबंधक/जीएसटीएम, रेल सूचना प्रणाली केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।